बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या- पी०आर० 176/2020

सत्र 2020–2022 के लिए राज्य के इण्टरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी सरकारी/गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय/इण्टर महाविद्यालय/सम्बद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालय एवं अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय में इण्टरमीडिएट कक्षा में दिनांक 07.08.2020 से दिनांक 12.08.2020 तक नामांकन एवं नामांकन हेतु आवेदन के संबंध में संबंधित प्राचार्य एवं इच्छुक विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सूचना

राज्य के इण्टरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी सरकारी/गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय/इण्टर महाविद्यालय/सम्बद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालय एवं अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय में सत्र 2020–2022 में इण्टरमीडिएट कक्षा में **Online Facilitation System For Students (OFSS)** प्रणाली से नामांकन किये जाने की कार्रवाई की जा रही है। इस हेतु विज्ञप्ति संख्या– पी॰आर॰ 151/2020 को समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हुये 10वीं कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों से **दिनांक 08.07.2020 से 17.07.2020 तक** OFSS के वेब पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये थे, जिसे बाद में विस्तारित किया गया था तथा उसके बाद अंतिम रूप से ऑनलाईन आवेदन भरने की तिथि विज्ञापन के माध्यम से बढ़ाते हुये **दिनांक 27.07.2020 तक** निर्धारित किया गया था।

समिति द्वारा दिनांक 27.07.2020 तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर विद्यार्थियों द्वारा उनके माध्यमिक कक्षा की परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत, उनके आरक्षण कोटि तथा उनके द्वारा दिये गये संस्थान एवं संकाय के विकल्प के आधार पर इण्टर कक्षा में नामांकन हेतु दिनांक 07.08.2020 को प्रथम चयन सूची प्रकाशित की जा रही है, **जिसके आधार पर संबंधित संस्थानों में दिनांक 07 अगस्त, 2020 से 12 अगस्त, 2020 तक नामांकन किया जाना है** तथा साथ ही प्रतिदिन नामांकित विद्यार्थियों की विवरणी को अगले दिन अनिवार्य रूप से OFSS पोर्टल **(www.ofssbihar.in)** पर Online update किया जाना है।

2. नामांकन की अवधि में सभी विद्यालयों में प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक तथा सभी शिक्षकेत्तर कर्मियों को उपस्थित रहना अनिवार्य है, जो इन विद्यार्थियों के नामांकन संबंधित सभी कार्य करना सुनिश्चित करेंगे। चूंकि नामांकन कार्य में पर्याप्त संख्या में काउण्टरों की व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाएं की जानी है, अतः यह आवश्यक है कि इंटर कक्षाओं में नामांकन हेतु संबंधित प्रधानाध्यापक द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य शिक्षकों को भी प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित किया जाए।

3. अतः उक्त के आलोक में अनुरोध है कि इण्टर कक्षा में नामांकन के लिये विद्यार्थियों की सुविधा हेतु आवश्यकता का आकलन कर पर्याप्त संख्या में काउण्टरों की व्यवस्था की जाए, जिससे कि किसी भी दिन नामांकन के समय आवश्यकता से अधिक भीड़ नहीं हो। साथ ही, उक्त कार्यों को सम्पादित करने के लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की भी प्रतिनियुक्ति की जाए।

4. OFSS के माध्यम से मान्यता प्राप्त उपर्युक्त श्रेणी के +2 विद्यालयों/महाविद्यालयों में संकायवार सीट की संख्या एवं विद्यार्थियों द्वारा अपने ऑनलाईन आवेदन में दिये गये संस्थान, संकाय के विकल्प एवं आरक्षण कोटि के आधार पर प्रथम चरण में नामांकन हेतु प्रथम चयन सूची तैयार किया गया है। इस प्रथम चयन सूची को निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर तैयार किया गया है :–

(i) +2 विद्यालयों/महाविद्यालयों में 11वीं कक्षा में नामांकन हेतु उपलब्ध सीट की संकायवार संख्या **(ii)** विद्यार्थियों द्वारा OFSS Portal पर किये गये ऑनलाईन आवेदन में भरे गये संस्थान/संकाय का विकल्प **(iii)** विद्यार्थियों के कक्षा 10वीं का प्राप्तांक प्रतिशत **(iv)** आरक्षण संबंधी प्रभावी प्रावधान **(v)** वैसे संस्थानों में, जहाँ 12वीं की पढ़ाई के साथ 10वीं की पढ़ाई भी होती है, वैसे संस्थानों से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों ने यदि 12वीं की पढ़ाई हेतु विकल्पों में अपने विद्यालय (जहाँ से उन्होंने 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण की है), का विकल्प दिया है, तो ऐसे मामलों में उन विद्यार्थियों को राज्य सरकार के निर्णयानुसार अपने मूल संस्थान में नामांकन हेतु प्राथमिकता दी गयी है, अर्थात् यदि उनको अपने मूल संस्थान से ऊपर का विकल्प नामांकन हेतु प्राथमिकता सूची में नहीं मिलता है, तो उनका चयन अपने मूल विद्यालय में नामांकन हेतु किया जायेगा। उदाहरणस्वरूप अगर किसी विद्यार्थी ने अपने विद्यालय का विकल्प, जहाँ से उन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है, को छठे स्थान पर दिया है और उनका चयन उनके मेधा एवं आरक्षण के आधार पर आठवें नम्बर के विकल्प में होता है, तो उस परिस्थिति में उन्हें छठे नम्बर के अपने मूल संस्थान में नामांकन के लिये चयनित किया जायेगा, परन्तु अगर ऐसे विद्यार्थी का चयन तीसरे विकल्प (जो छठे विकल्प से ऊपर है) के संस्थान हेतु होता है, तो उस स्थिति में उनका चयन तीसरे विकल्प में दिये गये संस्थान में नामांकन के लिये चयनित किया जायेगा किन्तु महाविद्यालय/संस्थान के लिये यह प्रावधान उनकी अधिकतम स्वीकृत सीमा के अन्तर्गत ही अनुमान्य है। अर्थात् यदि किसी संस्थान में अधिकतम स्वीकृत सीट संख्या (आरक्षण श्रेणीवार) से अधिक उसी संस्थान में विद्यार्थियों ने इण्टर में नामांकन के लिये आवेदन दिया है तो वैसी स्थिति में आरक्षण श्रेणीवार मेधा सूची में ऊपर से सीमित संख्या (अधिकतम सीट क्षमता के अनुसार) का ही उस संस्थान में प्राथमिकता के आधार पर इस प्रथम सूची में नामांकन किया जायेगा। शेष विद्यार्थियों (जो आरक्षण श्रेणीवार मेधा सूची में नीचे हैं) को उनका वह संस्थान नहीं दिया जायेगा, बल्कि उनको उनके द्वारा भरे गये विकल्पों के आधार पर अन्य संस्थान आवंटित किया जायेगा।

5. अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में समिति द्वारा इण्टर में नामांकन हेतु प्रथम चयन सूची (First Selection List) **दिनांक 07.08.2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे जारी किया जा रहा है,** जिसे संबंधित +2 विद्यालय/महाविद्यालय के उनके Login ID पर भेजा जा रहा है। इसके साथ ही +2 विद्यालय/महाविद्यालयों के अलग–अलग संकायों का **Cut** Off Percentage (आरक्षण श्रेणीवार) भी समिति के Website पर **दिनांक 07.08.2020** को जारी किया जा रहा है, जिसे आवेदक समिति के **Website (www.ofssbihar.in)** पर जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही सभी आवेदकों को उनके Login ID में प्रथम सूचना पत्र (Intimation Letter) भी जारी किया जा रहा है, जिसे वे OFSS Portal पर अपना User ID एवं Password डालकर देख सकते हैं तथा Download कर सकते हैं। इस हेतु सभी चयनितों को SMS भी भेजा जा रहा है।

6. अतः प्रथम चयन सूची (First Selection List) के आधार पर आवेदक **दिनांक 07.08.2020 से 12.08.2020 तक** अपने आवंटित महाविद्यालय में नामांकन ले सकते हैं। चयन सूची के आधार पर संबंधित विद्यार्थी OFSS Portal से अपना सूचना पत्र (Intimation Letter) का प्रिंट निकालकर संबंधित +2 विद्यालय/महाविद्यालय के प्राचार्य से सम्पर्क स्थापित करेंगे। संबंधित प्राचार्य उक्त सूचना पत्र (Intimation Letter) एवं आवश्यक सभी कागजात प्राप्त कर विद्यार्थी का नामांकन संबंधित संकाय में लेंगे एवं OFSS Portal पर +2 विद्यालय/महाविद्यालय का User ID एवं Password के माध्यम से संबंधित विद्यार्थी के नामांकन की सूचना अद्यतन करेंगे।

7. अगर कोई आवेदक उन्हें आवंटित +2 विद्यालय/महाविद्यालय/संकाय में नामांकन नहीं लेते हैं तो वर्त्तमान सत्र में उनका नाम OFSS System से हटा दिया जायेगा और वर्त्तमान सत्र में आगे जो चयन सूची जारी की जायेगी उसमें भी उनका नाम नहीं रहेगा अर्थात् उनका आवेदन रद्द कर दिया जायेगा।

8. यदि कोई आवेदक उन्हें आवंटित किए जाने वाले +2 विद्यालय/ महाविद्यालय/ संकाय से संतुष्ट नहीं है और दूसरा +2 विद्यालय/महाविद्यालय/संकाय चुनना चाहते हैं तो ऐसे आवेदकों के लिये आवश्यक है कि जिस +2 विद्यालय/ महाविद्यालय/संकाय में नामांकन के लिये उनका नाम आएगा, तो वे उस +2 विद्यालय/ महाविद्यालय/संकाय में नामांकन अवश्य करायेंगे, अन्यथा उनका आवेदन रद्द कर दिया जायेगा। इस संस्थान में नामांकन कराने के बाद ही वे द्वितीय एवं तृतीय चयन सूची जारी होने पर, वे वैसे उच्चतर प्राथमिकता वाले संस्थान में नामांकन ले सकेंगे, जिसके लिये उन्होंने नामांकन हेतु उच्च प्राथमिकता दी है। इसके लिये निम्नलिखित प्रक्रिया है जिसे स्लाइड अप प्रक्रिया कहते हैं:–

8.1 स्लाइड अप (Slide Up) प्रक्रिया :– प्रथम चयन सूची में चयनित विद्यार्थी **दिनांक 07.08.2020 से 12.08.2020 तक** अपने द्वारा भरे गये उच्चतर विकल्प (Higher Preference) हेतु अपना विकल्प भर सकते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिये यह आवश्यक है कि निर्धारित तिथि **दिनांक 07.08.2020 से 12.08.2020 तक** वे अपना नामांकन चयनित संस्थान/संकाय में अवश्य करा लें। नामांकन नहीं कराने की स्थिति में उनके नाम पर द्वितीय चयन सूची में कोई विचार नहीं किया जायेगा अर्थात् उनका नाम सूची से हटा दिया जायेगा। विद्यार्थी Slide Up विकल्प में नया संस्थान/संकाय न तो बदल सकते हैं और न ही कोई नया संस्थान/संकाय जोड़ सकते हैं।

8.2 अर्थात् अगर आवेदक प्रथम चरण में निचली प्राथमिकता वाले संस्थान में चुने जाने पर संतुष्ट नहीं है, वैसे विद्यार्थी **दिनांक 07.08.2020 से 12.08.2020** के बीच में OFSS पोर्टल के माध्यम से Student Login में जाकर अपने द्वारा दिये गये उच्च प्राथमिकता वाले संस्थानों में नामांकन की संभावना हेतु Slide Up विकल्प का उपयोग कर सकते हैं, परन्तु नया विकल्प जोड़ अथवा बदल नहीं सकते हैं। Slide Up विकल्प चुनने के पश्चात् संबंधित विद्यार्थी को उनके द्वारा आवेदन पत्र में पहले से भरे गये उच्च प्राथमिकता वाले विकल्पों में दूसरी सूची में चयन होने की सम्भावना है।

8.3 संस्थान में नामांकन के लिये प्रथम चयन सूची जारी की जा रही है। अतः नामांकन के लिये चयनित आवेदक को संबंधित संस्थान में नामांकन करना अनिवार्य है। आवेदकों को पुनः सलाह दी जाती है कि नामांकन की तिथि और अन्य औपचारिकताओं के लिये उन्हें संबंधित संस्थान से सम्पर्क करना चाहिए और नामांकन की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी को प्राप्त कर लेना चाहिए। अगर चयनित आवेदक अपने प्रथम चयन सूची में आवंटित +2 विद्यालय/महाविद्यालय/संकाय से संतुष्ट नहीं होंगे तो भी उन्हें उस आवंटित +2 विद्यालय/महाविद्यालय/संकाय में नामांकन लेना अनिवार्य है, ताकि Slide Up विकल्प भरने के बाद उनको दूसरी एवं तीसरी सूची में अन्य आवंटित +2 विद्यालय/महाविद्यालय/संकाय आवंटित करने पर विचार किया जा सके। अगर वे प्रथम सूची में आवंटित +2 विद्यालय/ महाविद्यालय/संकाय में नामांकन नहीं लेते हैं तो उनका आवेदन रद्द कर दिया जायेगा और उनका नाम OFSS System से हटा दिया जायेगा और वर्त्तमान सत्र में जो द्वितीय और तृतीय चयन सूची जारी की जायेगी, उसमें भी उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

9. प्रथम चयन सूची में जिन आवेदकों का चयन (उनके द्वारा भरे गये विकल्पों में से उनके प्राप्तांक एवं आरक्षण के आधार पर) किसी भी संस्थान में नहीं होता है, वैसे आवेदक पुनः **दिनांक 07.08.2020 से 12.08.2020 तक** OFSS पोर्टल में Login करके अन्य नये विकल्प नामांकन हेतु दोबारा भर सकते हैं। नये विकल्प भरने हेतु आवेदक विकल्प के रूप में नये +2 विद्यालय/महाविद्यालय में संकाय का चुनाव कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को न्यूनतम 10 (दस) विकल्प एवं अधिकतम 20 (बीस) विकल्प आवेदन पत्र में दोबारा भरना होगा। इन भरे गये विकल्पों के आधार पर दूसरी चयन सूची के लिये उनका यह नया आवेदन मान्य होगा। इस कार्य हेतु आवेदकों को दोबारा किसी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। ऐसे आवदकों को उनके अंक के आधार पर द्वितीय चयन सूची (Second Selection List) में संस्थान आवंटित करने हेतु विचार किया जायेगा।

10. नामांकन करने के लिये आवेदन करते समय विद्यार्थियों से कुल 300/– रूपये आवेदन शुल्क लिया गया था, जिसमें 100/– रूपये आवेदन शुल्क एवं 200/– रूपये कॉलेज शुल्क निहित था। अतः सभी +2 विद्यालय/ महाविद्यालय को सूचित किया जाता है कि प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय सूची के नामांकन के बाद कुल जितने विद्यार्थियों का नामांकन उनके +2 विद्यालय/महाविद्यालयों में होगा उन सभी विद्यार्थियों की कुल संख्या के अनुसार 200/– रूपये प्रति विद्यार्थी की दर से कुल राशि RTGS/NEFT के माध्यम से समिति उन +2 विद्यालयों/महाविद्यालयों को भेज देगी। अतः कोई भी +2 विद्यालय/महाविद्यालय किसी विद्यार्थी से कोई आवेदन शुल्क (Application Fee) नहीं लेंगे सिर्फ नामांकन शुल्क (Admission Fee) एवं नियमानुसार अन्य देय शुल्क (Other Applicable Fee) ही लेंगे।

11. नामांकन के इच्छुक विद्यार्थी एवं संबंधित प्राचार्य के लिये ध्यान देने योग्य विशेष तथ्यः–

(i) जारी किये जा रहे प्रथम चयन सूची में चयनित विद्यार्थियों का नामांकन **दिनांक 07.08.2020 से 12.08.2020 तक** संबंधित संस्थानों द्वारा लिया जायेगा। **(ii)** प्रथम चयन सूची के आधार पर चयनित विद्यार्थियों का नामांकन दिनांक 07.08.2020 से 12.08.2020 तक संस्थानों द्वारा लिया जायेगा। अतः संबंधित संस्थान के प्राचार्य इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि नामांकित विद्यार्थियों की सूची OFSS पोर्टल के संस्थान Login में **दिनांक 07.08.2020 से 12.08.2020 तक** निश्चित रूप से प्रतिदिन अपलोड करते रहेंगे। ऐसा करना अनिवार्य इसलिए है ताकि संबंधित विद्यार्थी जो संस्थान में नामांकन लेंगे उनकी सीट OFSS पोर्टल में भरी हुई मानी जाय एवं प्रथम चयन सूची के नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद संस्थानों में रिक्त सीटों की सूची **OFSS** पोर्टल के माध्यम से पता चल सके। इन्हीं रिक्त सीटों के आधार पर दूसरी चयन सूची का प्रकाशन होगा। यह कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है इसलिए संबंधित संस्थान इस कार्य का विशेष ध्यान रखेंगे।

12. नामांकन के पश्चात् अगर विद्यार्थी अपने द्वारा समर्पित विकल्पों में किसी उच्चतर विकल्प वाले कॉलेज/संस्थान में नामांकन के लिये इच्छुक है, तो वे नामांकन के पश्चात् OFSS वेबसाइट पर Slide Up Option में अपनी सहमति **दिनांक 12.08.2020** तक अवश्य दे दें।

13. उल्लेखनीय है कि प्रथम नामांकन के पश्चात् कई विद्यार्थियों को द्वितीय सूची में बेहतर विकल्प प्राप्त हो सकता है, जहाँ उन्हें पुनः नामांकन कराना होगा। इसके पश्चात् हो सकता है कि तृतीय एवं अंतिम सूची में भी विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिकता वाले विकल्प प्राप्त हों, जिसमें उनके द्वारा बेहतर विकल्प के संस्थानों में नामांकन कराया जाना संभावित है। ऐसी परिस्थिति में एक ही विद्यार्थी को एक बार से अधिक बार नामांकन कराने में बार–बार नामांकन शुल्क जमा करने में व्यावहारिक कठिनाई हो सकती है। अतः इस आलोक में OFSS के अन्तर्गत नामांकन शुल्क जमा करने के संबंध में निम्नांकित प्रावधान किया गया है :–

(i) OFSS के अन्तर्गत किसी भी विद्यार्थी का प्रथम बार नामांकन के समय +2 विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क लिया जाय। **(ii)** तत्पश्चात् यदि किसी विद्यार्थी आगामी द्वितीय चयन सूची अथवा तृतीय चयन सूची के आधार पर बेहतर विकल्प (Higher Preference) के संस्थान में चयन होता है, तो ऐसे संस्थानों में विद्यार्थी द्वारा पुनः नामांकन कराने के समय +2 विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा ऐसे विद्यार्थियों से कोई भी नामांकन शुल्क नहीं लिया जायेगा। **(iii)** पूरी चयन प्रक्रिया के समाप्ति के पश्चात् (अर्थात् प्रथम चयन सूची, द्वितीय चयन सूची तथा तृतीय सूची के उपरान्त नामांकन के पश्चात्) जो विद्यार्थी अंतिम रूप से जहाँ नामांकित रहेंगे, उस संस्थान के प्रधान द्वारा नामांकन से संबंधित शुल्क की राशि की निम्नरूपेण समीक्षा की जायेगी :– **(क)** अगर यह नामांकन प्रथम नामांकन है, तो संस्थान द्वारा नियमानुसार पूरी नामांकन राशि प्राप्त की जाय। **(ख)** अगर यह द्वितीय अथवा तृतीय नामांकन है, तो यह देखा जाना होगा कि विद्यार्थी द्वारा पूर्व के संस्थान में नामांकन के समय कितनी राशि जमा की गयी है। अगर पूर्व के संस्थान द्वारा लिया गया नामांकन शुल्क अंतिम रूप से नामांकित संस्थान के नामांकन शुल्क से कम है, तो उतनी अतिरिक्त राशि विद्यार्थी से अंतिम नामांकित संस्थान द्वारा प्राप्त कर लिया जायेगा और अगर यह राशि अंतिम रूप से नामांकित संस्थान के नामांकन शुल्क से ज्यादा है, तो अतिरिक्त राशि पूर्व के नामांकित संस्थान प्राचार्य द्वारा एक माह के अन्दर उस विद्यार्थी से प्राप्त किये गये नामांकन शुल्क को उस विद्यार्थी के अंतिम नामांकित को अवश्य ही वापस कर दिया जाय। साथ ही विद्यार्थी के पूर्व नामांकित संस्थान द्वारा एक माह के अन्दर उस विद्यार्थी से प्राप्त किये नामांकन शुल्क को उस विद्यार्थी के अंतिम नामांकित संस्थान को वापस कर दी जाय।

14. नामांकन हेतु विद्यार्थियों के लिये आवश्यक निदेशः–

Computer से अपना नामांकन पत्र की प्रति प्राप्त करने के लिये अपना Common Application Form की प्रति एवं अपना मोबाईल संख्या जो उन्होंने Common Application Form भरने के समय उपयोग किया है, अपने पास सुरक्षित रखेंगे।

- सर्वप्रथम आवेदक किसी भी वेब ब्राउजर के माध्यम से OFSS के वेब पोर्टल **www.ofssbihar.in** पर जायेंगे।
- उसके पश्चात् होम पेज पर दिये गये लिंक ''इण्टर/+2 कक्षा में अपने चयन एवं नामांकन संबंधित +2 विद्यालय/महाविद्यालय/संकाय'' की जानकारी प्राप्त करने हेतु दिये लिंक पर क्लिक करेंगे।
- क्लिक करने के पश्चात् एक नया पेज खुलेगा। इस पेज पर आवेदक को अपना Application Reference No./Barcode No. एवं जिस मोबाईल नम्बर के माध्यम से उन्होंने Common Application Form भरा है, उसे सही–सही भरेंगे।
- आगे बढ़ने के पहले आवेदक अपने द्वारा भरी गयी सभी सूचना पुनः जाँच लेंगे कि सूचनायें सही भरी गयी है।
- वांछित सूचना डालने के पश्चात् आवेदक चयनित संबंधित +2 विद्यालय/ महाविद्यालय एवं संकाय देख पायेंगे।
- उसके पश्चात् आवेदक Download Intimation Letter लिंक पर क्लिक करके अपना सूचना पत्र (Intimation Letter) डाउनलोड कर लेंगे।
- डाउनलोड एवं प्रिंट किये गये पत्र, Common Application Form का प्रिंट आउट सभी अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, उन सभी की दो–दो फोटो प्रतियाँ एवं अपना 05 प्रति फोटो लेकर संबंधित प्राचार्य से सम्पर्क कर अपना नामांकन करायेंगे।

15. +2 विद्यालयों/महाविद्यालयों के प्राचार्यों के लिये आवश्यक निदेशः–

(i) जिस +2 विद्यालय/महाविद्यालय में विद्यार्थी नामांकन के लिये उपस्थित होंगे उस विद्यालय/महाविद्यालय के Admission Incharge को पोर्टल **www.ofssbihar.in** पर Login करके यह सुनिश्चित करना होगा कि उस विद्यार्थी का नामांकन पोर्टल के माध्यम से पोर्टल पर अपडेट हो गया है। इसके लिये निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होगी :–

- किसी भी वेब ब्राउजर से **http://www.ofssbihar.in** वेबसाइट खोलें।
- खोलने के पश्चात् "Portal Login" लिंक पर क्लिक करें।
- Portal Login लिंक पर क्लिक करने के पश्चात् एक नया वेब पेज खुलेगा, जिसमें विद्यालय/महाविद्यालय का User Id एवं Password भरना होगा। भरने के पश्चात् Login बटन पर क्लिक करना होगा।
- यदि संबंधित महाविद्यालय का User ID एवं Password नहीं मिला है तो वे अपने जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी से सम्पर्क करके User ID एवं Password ले सकते हैं।
- Login करने के पश्चात् संबंधित प्राचार्य को अपने डैशबोर्ड में बाईं तरफ "Admission" लिंक दिखाई देगा। वे "Admission" लिंक पर क्लिक करें।
- "Admission" लिंक पर क्लिक करने के पश्चात् "Admission Update" पर क्लिक करें एवं Drop Down से संबंधित +2 विद्यालय/महाविद्यालय/संकाय चुन लें।
- उसके पश्चात् संबंधित आवेदक का Reference No. चुनकर उसके सामने वाले चेक बॉक्स में क्लिक करें। क्लिक करने के पश्चात् "Click to Save" बटन पर क्लिक करें।
- "Click to Save" बटन पर क्लिक करने के पश्चात् OK बटन पर क्लिक करें।
- OK बटन पर क्लिक करने के पश्चात् संबंधित आवेदक का नामांकन OFSS Portal में दर्ज हो जायेगा और इस प्रकार यह सुनिश्चित हो जायेगा कि उस आवेदक का नामांकन उस +2 विद्यालय/महाविद्यालय में हो गया है।
- उपर्युक्त प्रक्रियाओं को अपनाना +2 विद्यालय/महाविद्यालय के लिये अतिआवश्यक है, क्योंकि OFSS पोर्टल में आवेदक का नाम दर्ज हो जाने पर ही वह सीट भरा हुआ माना जायेगा, जिससे कि जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा द्वितीय चयन सूची जारी की जाय, तो संबंधित +2 विद्यालय/महाविद्यालय के रिक्त सीट के लिये ही चयन सूची जारी हो सके।

(ii) प्रथम चयन सूची (First Selection List) के आधार पर चयनित विद्यार्थियों का नामांकन **दिनांक 07.08.2020 से 12.08.2020** तक +2 विद्यालयों/महाविद्यालयों में किया जायेगा। अतः संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि नामांकित विद्यार्थियों की सूची OFSS पोर्टल के +2 विद्यालय/ महाविद्यालय Login में **दिनांक 07.08.2020 से 12.08.2020 तक** निश्चित रूप से प्रतिदिन अपलोड करते रहें। ऐसा करना अनिवार्य इसलिए है ताकि संबंधित विद्यार्थी जिसका नामांकन +2 विद्यालय/महाविद्यालय में लिया जायेगा, की सीट OFSS पोर्टल में भरी हुई मानी जाय एवं प्रथम चयन सूची (First Selection List) के नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद महाविद्यालयों में रिक्त सीटों की सूची OFSS पोर्टल के माध्यम से पता चल सके। इन्हीं रिक्त सीटों के आधार पर दूसरी चयन सूची का प्रकाशन होगा। यह कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है, इसलिए संबंधित +2 विद्यालय/महाविद्यालय इस कार्य का विशेष ध्यान रखेंगे।

(iii) दिनांक 07.08.2020 को जो विद्यार्थी संबंधित संस्थान में नामांकन लेंगे उनकी सूची OFSS पोर्टल के संस्थान Login में दिनांक 08.08.2020 को निश्चित रूप से संस्थान द्वारा अपलोड कर दिया जाय। इसी प्रकार, दिनांक 08.08.2020 के नामांकित विद्यार्थियों की सूची दिनांक 09.08.2020 को, दिनांक 09.08.2020 के नामांकित विद्यार्थियों की सूची दिनांक 10.08.2020 को, दिनांक 10.08.2020 के नामांकित विद्यार्थियों की सूची दिनांक 11.08.2020 को, दिनांक 11.08.2020 के नामांकित विद्यार्थियों की सूची दिनांक 12.08.2020 को एवं दिनांक 12.08.2020 के नामांकित विद्यार्थियों की सूची हर हाल में दिनांक 13.08.2020 तक संस्थान द्वारा OFSS पोर्टल के संस्थान Login में अवश्य ही अपलोड कर दिया जाय। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही पाये जाने पर संबंधित संस्थान एवं उनके प्राचार्य के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

(iv) चूँकि नामांकन सीमित समयावधि में लिया जाना है, अतः नामांकन की प्रक्रिया सुचारू रूप से एवं ससमय सम्पन्न हो, इसके लिये आपके स्तर से इस कार्य का दैनिक आधार पर एवं सघन रूप से अनुश्रवण आवश्यक है। चूँकि इस अल्प अवधि में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों का नामांकन होना है, अतः सभी कॉलेजों के प्राचार्यों को निदेश दिया जाता है कि नामांकन की प्रक्रिया हेतु न्यूनतम 04 (चार) काउन्टर (अधिकतम संख्या इससे अधिक भी रखी जा सकती है) रखा जाना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही विद्यार्थियों की सुविधा हेतु प्रत्येक संस्थान द्वारा न्यूनतम 03–04 स्थलों पर उक्त संस्थान के लिये नामांकित विद्यार्थियों की सूची भी लगायी/ चिपकायी जाय। सभी प्राचार्य इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरतापूर्वक लिया जायेगा तथा ऐसे संस्थानों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी।

16. नामांकन के पश्चात् बेहतर विकल्प (Slide Up) हेतु इच्छुक विद्यार्थियों के लिये आवश्यक निदेशः–

(i) प्रथम चयन सूची (First Selection List) के आधार पर आवंटित +2 विद्यालय/महाविद्यालय /संकाय में विद्यार्थी अपना नामांकन करायेंगे।

(ii) दिनांक 07.08.2020 से 12.08.2020 के बीच किसी भी दिन ऐसे विद्यार्थी OFSS के वेबसाइट **www.ofssbihar.in** पर अपना User ID एवं Password से Login करते हुए स्लाइड अप (Slide Up) Option पर Click करेंगे तथा स्लाइड अप (Slide Up) हेतु वेबसाइट पर सहमति दें। इसके लिये निम्न प्रक्रिया है :– **(क)** अपना User ID एवं Password से अपना पेज खोलें। **(ख)** क्लिक करने के पश्चात् एक नया पेज खुलेगा, जिसमें Slide Up Option दिखेगा। **(ग)** Slide Up Option हेतु इच्छुक विद्यार्थी Slide Up Option के सामने दिये गये बटन को क्लिक करेंगे।

(iii) विद्यार्थी Slide Up विकल्प का उपयोग करने में कोई संस्थान न तो बदल सकते हैं और न ही नया कोई संस्थान जोड़ सकते हैं। किन्तु यहाँ पुनः स्पष्ट किया जाता है कि द्वितीय चयन सूची के लिये सिर्फ वैसे ही विद्यार्थियों के Slide Up Option पर विचार किया जायेगा, जो प्रथम चयन सूची में नामांकित संस्थान में नामांकन करा लेंगे। यदि वे प्रथम चयन सूची में नामांकित संस्थान में नामांकन नहीं कराते हैं, तो उनका Candidature आवेदन रद्द कर दिया जायेगा तथा उनके द्वारा भरे गये Slide Up Option पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

17. वैसे विद्यार्थी, जिनका चयन प्रथम चयन सूची (First Selection List) में नहीं होता है, के लिए आवश्यक सूचना विद्यार्थी द्वारा दिये गये Choice (विकल्पों) वाले कॉलेज के Cut Off Marks से कम प्राप्तांक रहने के कारण अथवा संकाय की न्यूनतम अर्हता (Minimum Criteria) पूर्ण नहीं करने के कारण जिन विद्यार्थियों का प्रथम चयन सूची (First Selection List) में चयन नहीं हो सका है, वैसे विद्यार्थियों के लिये महत्वपूर्ण निदेश :–

(i) विद्यार्थी OFSS Portal पर उपलब्ध सभी कॉलेजों के सभी संकायों का प्रथम कटऑफ लिस्ट (First Cut Off List) देख लेंगे कि किन–किन कॉलेज/संकाय में किन–किन आरक्षण कोटि के अंतिम चयनित विद्यार्थी का क्या अंक है।

(ii) दिनांक 07.08.2020 से 12.08.2020 के बीच विद्यार्थी OFSS Portal पर जाकर अपना User ID एवं Password के माध्यम से अपना वेब पेज खोलेंगे।

(iii) प्रथम चयन सूची के कट ऑफ मार्क्स को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी **07.08.2020 से 12.08.2020** के बीच OFSS Portal पर न्यूनतम 10 एवं अधिकतम 20 विकल्प भरेंगे।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

(क) प्रथम चयन सूची जारी करने के पश्चात् :–

(i) नामांकन की तिथि :– **दिनांक 07.08.2020 से 12.08.2020 तक**

(ii) महाविद्यालय द्वारा OFSS Portal www.ofssbihar.in में Login कर सीट अद्यतन किया जाना :– **दिनांक 13.08.2020 तक**

(iii) विद्यार्थियों द्वारा नामांकन के पश्चात् स्लाइड अप की प्रक्रिया के लिये ऑनलाईन आवेदन की तिथि :– **दिनांक 07.08.2020 से 12.08.2020 तक**

(iv) जिस विद्यार्थी का चयन प्रथम चयन सूची में कहीं भी नहीं होता है, उसके लिये नया विकल्प भरने की तिथि :– **दिनांक 07.08.2020 से 12.08.2020 तक**

18. सत्र 2020–2022 के लिए राज्य के इण्टरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी सरकारी/गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर महाविद्यालय/सम्बद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालय एवं अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय में इण्टरमीडिएट कक्षा में दिनांक 07.08.2020 से दिनांक 12.08.2020 तक नामांकन हेतु आवेदन के संबंध में संबंधित प्राचार्य एवं इच्छुक विद्यार्थियों, विशेषकर कोविड महामारी के कारण एक या दो विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों को कुछ अतिरिक्त अंकों का ग्रेस देकर, जिसका संशोधित परीक्षाफल दिनांक 06.08.2020 को घोषित किया गया है, में उत्तीर्ण छात्रों के लिए आवश्यक सूचना।

(i) एक एवं दो विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र, जिन्हें कोविड महामारी के कारण एक या दो विषयों में कुछ अतिरिक्त अंक का ग्रेस अंक देकर, जिसका संशोधित परीक्षाफल दिनांक 06.08.2020 को घोषित किया गया है, में उत्तीर्ण छात्रों को OFSS के वेबसाइट **www.ofssbihar.in** पर **दिनांक 07.08.2020 से 12.08.2020 तक** ऑनलाईन फॉर्म भरने का अवसर प्रदान किया जाता है।

(ii) साथ ही, ऐसे विद्यार्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे प्रथम चयन सूची जारी होने के पश्चात् OFSS के वेबसाइट **www.ofssbihar.in** पर जाकर विभिन्न कॉलेजों का Cut off marks देख लें, ताकि उन्हें इस बात की जानकारी हो सके कि उनको प्राप्त अंक तथा उनके आरक्षण श्रेणी के आधार पर उनका किन कॉलेजों एवं संकायों में नामांकन (Admission) हो सकता है– तत्पश्चात् वे **दिनांक 07.08.2020 से 12.08.2020 तक** OFSS के वेबसाइट **www.ofssbihar.in** में log-in कर अपने विकल्प (choice) अर्थात् संस्थान/ संकाय (न्यूनतम **10 विकल्प** तथा अधिकतम **20 विकल्प**) भरना सुनिश्चित करेंगे, ताकि उन्हें द्वितीय चयन सूची में उनके अंक एवं आरक्षण श्रेणी के आधार पर नामांकन हेतु संस्थान आवंटित किया जा सके।

19. इसके अलावा नामांकन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट **www.ofssbihar.in** पर प्राप्त की जा सकती है।

20. अगर उक्त प्रक्रिया में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो **हेल्पलाईन दूरभाष संख्या 0612–2230009** पर सम्पर्क किया जा सकता है।

संयुक्त सचिव (OFSS)